न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 61/2018

1 विश्वेश्वर प्रसाद उर्फ वासुदेव पुत्र बालु जाति जाट निवासीगण झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

2 पतासी देवी पत्नी बालु जाति जाट निवासीगण झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 गोविन्दाराम पुत्र मेवाराम।
2 भगवानाराम पुत्र मेवाराम।
3 भंवरलाल पुत्र मेवाराम।
4 झाबरमल पुत्र मेवाराम।
5 हरिराम पुत्र बालूराम।
6 सागरमल पुत्र बालूराम समस्त जाति जाट निवासीगण झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
7 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश (निर्णय) उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर मु.नं. 217/2016 उनवानी गोविन्दराम
बनाम हरिराम वगैरह दिनांक 23.05.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री पोखरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री झाबरमल रॉयल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री विरेन्द्र सिंह काजला अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 217/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.9200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3900 हैक्टेयर वाके तन ग्राम झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में स्थित है जो प्रार्थीगण के खाते कब्जे व काश्त की है तथा प्रार्थीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.4800 हैक्टेयर ग्राम झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में ही अवस्थित है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 183 व 155 में काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 183 व 155 में सदैव से आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 184 में पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे होकर झीगर बड़ी से झीगर छोटी को जाने वाले आम रास्ते में मिलता है का उपयोग करता रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत की उपज लाने व ले जाने व खेत की जुताई के लिए उंटगाड़ा/ट्रेक्टर आदि सदैव से इसी रास्ते से लाते व ले जाते रहे है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 155 व 183 में आवागमन हेतु आवागमन का भूमि खसरा नम्बर 184 में पूर्वी सींव के सहारे अवस्थित रास्ता ही एक मात्र रास्ता है तथा उक्त रास्ता कटानशुद्वा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थीगण के उक्त आवागमन के रास्ते को बंद करने की एलानियां धमकी दे चुके है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से दिनांक 24.03.2016 को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने साफ इंकार कर दिया तो उनको गांव के मौजिज व्यक्ति व रिश्तेदारों द्वारा समझाईश करवाई लेकिन वो नहीं माने। भूमि खसरा नम्बर 184 में संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर क सेख 20 फिट चौडा रास्ता ग्राम झीगर छोटी से ग्राम झीगर बड़ी जाने वाले रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 183 तक कटान में अंकित करना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है तथा उक्त रास्ते बाबत माननीय न्यायालय जो भी क्षतिपूर्ति राशि तय करेगा प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र पेश कर भूमि खसरा नम्बर 155 व 183 में आवागमन के लिए रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित क से ख दिलवाया जाने की आज्ञा फरमाने हेतु आवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आवेदन धारा 251ए स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि बिडोली कैम्प में 23.05.2018 को अपीलांट की अनुपस्थिति के बावजुद उपस्थित बताकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। विचारण न्यायालय में दिनांक 19.04.2018 को नियत पत्रावलियों में एक साथ 06.07.2018 की तिथि नियत की गई थी केवल इसी पत्रावली में 25.04.2018 नियत की गई इस प्रकार अपीलांट को बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 150 में से है खसरा नम्बर 184 में से नही है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि निर्णय की पालना में रास्ता कायम हो चुका है राशि जमा करवा दी है। अपीलांट को बार–बार सुनवाई का अवसर दिया गया। खसरा नम्बर 150 में से रास्ता लेने पर आवासीय मकान बीच में आते है व इससे आगे से लेने पर खेत दो हिस्सों में विभाजित होता है। अत खसरा नम्बर 184 में से दिया गया रास्ता ही उपयुक्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में दिनांक 01.02.2018 को जरिये वकील उपस्थित आया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय कैम्प कोर्ट बिडोली में किया है। अपीलांट को कैम्प कोर्ट की सूचना दिये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपीलांट को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अनुपालना में साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रतीत नही होता है। मौका रिपोर्ट भी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट मंगवाकर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर